फर्द अहकाम
न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौथ का बरवाड़ा
दीवानी वाद प्रकरण संख्या 135/2021
पूरणमल बनाम जन्सी वगैरह

तारीख हुक्म	आदेश	आदेश की पालना बाबत् रिपोर्ट
09.12.2025	प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर गुप्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार जैन उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर मौखिक बहस किये जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारान सुनी गई। इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र असल दस्तावेज शहादत में प्रस्तुत किये जाने बाबत दिनांकित 19.11.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में पूर्व में दस्तावेजात प्रतिवादी की साक्ष्य प्रतियां प्रस्तुत है। अतः असल दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत है जिन्हें दाखिल शहादत किये जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। दस्तावेजात असल दस्तावेज सूची में अंकित है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर मौखिक बहस किये जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेजात को दाखिल शहादत किये जाने की आज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया। दौराने बहस अप्रार्थीगण/वादीगण ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण से सुसंगत नहीं है। उक्त दस्तावेजात प्रतिवादी के कब्जे में प्रारंभ से ही थे। परंतु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजात पूर्व में प्रस्तुत	

नहीं किये गये हैं। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रकरण में विलंब कारित किये जाने के आशय से पेश किया गया है। अंत में हस्तगत प्रार्थना पत्र भारी हर्जे–खर्चे के साथ खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दस्तावेजात प्रतिवादी जंसी के नाम से संबंधित है। प्रस्तुत दस्तावेजात हस्तगत वाद से सुसंगत एवं महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त दस्तावेजात हस्तगत वाद की विषयवस्तु से सुसंगत होकर उभय पक्षों के मध्य मौजूद विवादों के निर्णयार्थ आवश्यक दस्तावेजात हैं। न्यायालय का विनम्र न्यायिक मत यह है कि यदि उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है तो इससे प्रकरण का प्रभावी न्याय निर्णयन संभव हो सकेगा। प्रकरण साक्ष्य वादी के स्तर पर है, अतः यदि उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है तो वादी को उक्त दस्तावेजात पर जिरह का भी पूर्ण अवसर प्राप्त रहेगा और वादी को कोई प्रिज्यूडिस कॉज नहीं होगा। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादपत्र पेश किये जाने से करीब 8 वर्ष पश्चात् हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो काफी विलंब से पेश किया गया है। इसलिये प्रतिवादी पर कोस्ट अधिरोपित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। परिणामतः प्रार्थी/प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय का विनम्र मतानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 (3) सिविल प्रकिया संहिता दिनांकित 19.02.2025 को 500/– रूपये कोस्ट पर **स्वीकार** किया जाता है। कोस्ट अदायगी जिरह हेतु पूर्ववर्ती शर्त रहेगी। कोस्ट वादी को दिलायी जायेगी।

आदेश सुनाया गया।

आगामी पेशी पर साक्ष्य वादी हेतु आवश्यक रूप से गवाह उपस्थित रखें। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 15.12.2025 को पेश हो।

(हेमन्त मेहरा)

सिविल न्यायाधीश,
चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर